


2. सभी सूचना प्रदाता अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि :

- क. सभी सूचनाएं मय योजना/कार्य विवरण व प्रगति निर्धारित समय पर वेब पोर्टल पर अपडेट सीधे ही करेंगे।
- ख. वेबपोर्टल पर सूचना अपलोड हो गई है, यह स्वयं देखेंगे। यदि सूचना दो दिवस में अपलोड न हो पा रही हो या कोई तकनीकी समस्या हो तो उस स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता (आई टी) को विवरण सहित ई-मेल भेजकर समस्या का निराकरण करायेंगे।


3. सभी अधीक्षण अभियन्ता (पवस) विद्युत आपूर्ति की स्थिति की मॉनिटरिंग हेतु उनके मुख्यालय पर स्थित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से यह सूचना संकलित करेंगे कि आगामी दिवसों में यदि रखरखाव या अन्य कार्य हेतु कोई शटडाउन लिया जाना है तो निर्धारित दिवस से पूर्व वेबसाइट पर इसकी सूचना अपलोड करनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में फाल्ट के कारण यदि कोई 33 केवी या 11 केवी फीडर 30 मिनट से अधिक अवधि तक बन्द रहे या रखरखाव कार्य हेतु बन्द रखने की संभावना हो तो संबंधित सहायक अभियन्ता उसकी सूचना अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में तुरन्त देंगे ताकि यह जानकारी वेबसाइट पर संबंधित उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहे। इसी प्रकार अन्य सूचनाओं को भी संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सभी विभागाध्यक्ष निगम की वेबपोर्टल का समय-समय पर अवलोकन करेंगे और अपने-अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं को निर्धारित समय अनुसार वेबपोर्टल पर अपडेट करने हेतु दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
5. वेब पोर्टल पर सीधे ही सूचना अपलोड करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड तथा उपयोग करने की कार्यविधि अधीक्षण अभियन्ता (आईटी) द्वारा अलग से सूचित की जा रही है।

सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सूचनाएं सही और समय पर वेबपोर्टल पर उपलब्ध हो।


(संजय मल्होत्रा)
अध्यक्ष, डिस्कॉम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर/जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करावें।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. संभागीय/मुख्य अभियन्ता (पवस/सीपीएल/आरडीपीपीसी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/कोटा/भरतपुर।
4. उप मुख्य अभियन्ता (एमएम/आरई एण्ड डीएसएम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जेसीसी/जेपीडीसी/प्लान/आरई/आई टी/ लीगल/एम एण्ड पी/वाणिज्य), जयपुर डिस्कॉम,
6. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी (एटीआर), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
11. कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
12. निजी सचिव, ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।


(टी.एस.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)